03/02/26 पत्रावली वास्ते निर्णय आज पेश हुई।
प्रकीर्ण उभय पक्ष हाजिर। मैंने सुनी
गयी बहस व विधिक प्रावधानों पर
मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों
सहमति पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन
किया। अतः मुताबिक सहमति पत्र आदेश
पारित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक
से टंकण करा शामिल मिसल करें। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला–सीकर

बइजलास मोनिका सामोर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 64 / 2018

सरकार

– प्रार्थी

ब ना म

हंसराज आदि

– अप्रार्थीगण

उपस्थिति–

1. तहसीलदार, दांतारामगढ की ओर से वकील श्री आनन्द राड़ हाजिर आये।
2. ग्राम पंचायत चक की ओर से वकील श्री हरदेवाराम सुण्डा हाजिर आये।
3. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा हाजिर आये।

नि र्ण य — दिनांक –03.02.2026

1. माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के पत्रांक एफ 34 / 18 रीडर–।।/असंआज / 83 दिनांक 09.01.2019 द्वारा पत्रावली लौटकर न्यायालय हाजा में दिनांक 01.06.2020 को दर्ज की गयी। जिसमें माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश क्रमांक अपील संख्या 34 / 2018 जिला सीकर दिनांक 18.09.2018 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ के आदेश दिनांक 12.01.2018 में अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 772 की हद तक निरस्त किया गया है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करने हेतु निर्देशित किया गया है। पत्रावली न्यायालय में दर्ज की गयी। प्रार्थी हंसराज व भागीरथ की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा हाजिर आये। तहसीलदार दांतारामगढ़ की ओर से वकील श्री आनन्द राड हाजिर आये। *प्रार्थी हंसराज व भागीरथ की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा ने प्रार्थना पत्र बाबत् न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 18.09.2018 को अपील संख्या 34 / 2018 जिला सीकर उनवान हंसराज आदि बनाम राज्य सरकार आदि की में*

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ